

रामनवमी

2018

107 द. प्र. स.

मोहम्मद सरकार

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी.

बनाम

सोनु खान
9/1/18

रामनाथ

आदेश पत्रक

22/3/18

अभिलेख संख्या :- एम. 39 / 2018, धारा :- 107 द. प्र. स.

थाना प्रभारी करी के अप्राथमिकी संख्या :- 04/18

92

22/3/18

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :- ~~सोनु खान 2018~~

रामनवमी - 2018

जिससे संभवना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द0 प्र0 स0 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध -पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

दिनांक :- 24/3/18 को उपस्थापित करें।

अनुमंडल दण्डाधिकारी,


खूँटी

द्वितीय पक्ष अनुपस्थित/दिनांक
11/3/19 को रखें।

11/3/19 द्वितीय पक्ष अनुपस्थित/दिनांक 25/03/19
को रखें।

25/03/19 द्वितीय पक्ष अनुपस्थित/दिनांक 15/04/19
को रखें।

15/4/19 द्वितीय पक्ष अनुपस्थित/दिनांक 23/04/19 को रखें।



15.04.19

23/4/19 द्वितीय पक्ष अनुपस्थित/दिनांक 13/05/19
को रखें।

13/05/19 द्वितीय पक्ष अनुपस्थित/दिनांक 01/06/19
को रखें।

01/06/19 द्वितीय पक्ष अनुपस्थित/दिनांक 29/06/19
को रखें।

29/06/19 द्वितीय पक्ष अनुपस्थित/यूनिवर्सिटी सभ 9वीं
2018 शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका है तथा
आज आली द्वारा किसी प्रकार का निर्देश
नहीं मंगा गया है। अतः कागज की कार्यवाही
समाप्त की जाती है।


29.06.19